

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 02.04.2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" आयोजित करने बाबत
दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के दौरान शिविर की अवधि दिनांक 21 नवम्बर, 2012 से 25 दिसम्बर 2012, तक रखी गयी थी तथा अभियान का Follow-up कार्य प्रत्येक नगर निकाय के कार्यालय में दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 के पश्चात् भी दिनांक 31 मार्च, 2013 तक रखे जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त परिपत्र दिनांक 17.10.2012 के द्वारा और इसके अनुक्रम में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विविध आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएँ/छूटें दी गयी हैं तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।


विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.12.2012 और उसके क्रम में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 15.02.2013 के द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर अभियान के दौरान दिनांक 31.03.2013 तक दी गयी सभी शिथिलताएँ आदि लागू की गयी थी।

अब राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of powers etc.) के साथ दिनांक 31.03.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2013 निर्धारित की गयी है। उक्त शिथिलताएँ आदि दिनांक 30.06.2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू मानी जायेगी।

संबंधित जिला कलक्टर अपनी सुविधानुसार समय-समय पर अभियान की समीक्षा भी करेंगे।


अतः तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदेव सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण (समस्त) (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग को छोड़ कर)
4. विशिष्ट सहायक, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
8. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उद्योग/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव.....
11. निजी सचिव, शासन सचिव,, जयपुर।
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
14. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
16. समस्त अधिकारीगण नगरीय विकास विभाग, ।
17. रक्षित पत्रावली।



(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय